कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी–सुलतानपुर।

पत्रांकः–बेसिक/मान्यता/ 33798-804 /2020–21 दिनांक– 25/3/2021

प्रबन्धक,
बी0डी0एम0 इण्टरनेशनल स्कूल प्रा0वि0–पाण्डेयपुर सुरौली
विकास क्षेत्र–जयसिंहपुर
जनपद–सुलतानपुर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 एवं शासनादेश संख्या 89/अरसठ–3–2018–2041/2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक–11 जनवरी 2019 में विहित प्रावधानों के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुलतानपुर आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम अस्थायी एक वर्ष हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है–

1.मान्यता की मंजूरी विस्तारीकरण नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपबन्ध–1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011(उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3.विद्यालय कक्षा 01 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करने सम्बन्धी शपथपत्र उपलब्ध करायेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4.पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5.सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता– पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6.विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा –

(क) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(घ) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(च) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(छ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया–कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7.विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8.अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन वांछित न्यूनतम अर्हताओं का होना आवश्यक है।

9.विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।

10.विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11.विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1980(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12.स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगत या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

PREMLATA GROUP OF INSTITUTE B.D.M. INTERNATIONAL SCHOOL MISHRA

13.विद्यालय के लेखाओं के की किसी चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14.आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **PT15-O** है।

15.विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।

16.सोसाइटी के रजिस्टीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।

17.विभाग द्वारा दिये जाने वाले यू–डायस प्रपत्र पर सूचना भरकर समयान्तर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

18.उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

19.विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम मान्यता का वर्ष विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य है तथा अधिकतम 02 वर्ष में रंगाई–पुताई करना भी अनिवार्य है।

20.विद्यालय का निरीक्षण सरकारी, स्थानीय अथवा उच्च शिक्षाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा क़िया जा सकेगा।

21.बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं का दिया जाना भी अनिवार्य होगा।

22..विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है।

23.विद्यालय स्ववित्त पोषित होगा तथा अनुदान स्वीकृति का दावा नहीं करेगा।

24.जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के विना न तो कोई अनुभाग खोला जायेगा और न ही बन्द अथवा स्थानान्तरित किया जायेगा।

25.गुणवत्ता के निर्धारित अधिगम स्तर को प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

26.कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक शिक्षणकार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(दीवान सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

पृ0सं0: पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.महानिदेशक स्कूल शिक्षा उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ ।
2.शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ।
3.सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
4.सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5.खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि0क्षे0–जयसिंहपुर, सुलतानपुर।
6.गार्ड फाइल/पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि पत्रावली तथा आदेश अपनी अभिरक्षा में संरक्षित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर

Form No:1232

Office of the District Basic Education Officer

SULTANPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **BDM INTERNATIONAL SCHOOL,VILL PANDEYPUR SURAULI POST BAREGAWN DIST SULTANPUR UP** is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to BDM INTERNATIONAL SCHOOL is **SUL09495258310.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:01-07-2025To:01-07-2026(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	New
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	SUL09495258310

DATE:- 01-07-2025

PLACE:- SULTANPUR

District Basic Education Officer

Digitally signed by Upendra Gupta
Date: 2025-07-01 13:55:48
Reason: For Digital Signature
Location: SULTANPUR

Note This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

PREMLATA GROUP OF INSTITUTE B.D.M. INTERNATIONAL SCHOOL MISHRA

प्रेषक,

खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जयसिंहपुर सुलतानपुर।

सेवा में,
प्रबंधक,

बी०डी०एम० इंटरनेशनल स्कूल ,
पाण्डेयपुर, सुरौली जयसिंहपुर सुलतानपुर।

पत्रांक / -------- /2026-27 दिनांक – 20-4-2026

विषय – बी०डी०एम० इंटरनेशनल स्कूल, पाण्डेयपुर, सुरौली जयसिंहपुर सुलतानपुर की मान्यता स्थायीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संस्था प्रबंधक, बी०डी०एम० इंटरनेशनल स्कूल, पाण्डेयपुर, सुरौली जयसिंहपुर सुलतानपुर के पत्रांक/बी०डी०एम०/241/2026-27 दिनांक 05-05-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी (Aff) CBSE नई दिल्ली के पत्रांक सीबीएसई/एफएफ/एसएस-00528-2627/2026-27 दिनांक 10-04-2026 द्वारा संस्था बी०डी०एम० इंटरनेशनल स्कूल, पाण्डेयपुर, सुरौली जयसिंहपुर सुलतानपुर की मान्यता प्रमाण-पत्र स्थायी होने के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त संस्था के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक/शिवि०(बी०)/मान्यता/33798/2020-21 दिनांक 25-03-2021 द्वारा शासनादेश संख्या-89/असर०-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी, 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता सम्बन्धी शासनादेशों को अप्रभावित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 08 मई, 2013 की शर्तो के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई, 2013 के प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबंधिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं आता है तो औपबंधिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो रही है।

उक्त से अवगत होते हुए आपको अवगत कराना है कि मान्यता प्रदान करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक विद्यालय के प्रतिकूल कोई तथ्य संज्ञानित नही हुआ अतः शाशनादेश के अनुसार विद्यालय की मान्यता स्थायी मान ली जाती है।

संलग्नक – शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 10-10-2025 की छायाप्रति।

भवदीय

(सुधीर सिंह)
खण्ड शिक्षा अधिकारी
जयसिंहपुर सुलतानपुर।

पृष्ठांकन सं० / 11849 /2026-27 तददिनांक। 20-4-2026

प्रतिलिपि – ज्वाइंट सैक्रेटरी (एफएफए) एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई), नई दिल्ली को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PREMLATA GROUP OF INSTITUTE
B.D.M. INTERNATIONAL SCHOOL
MISHRA

खण्ड शिक्षा अधिकारी
जयसिंहपुर सुलतानपुर।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025-26 दिनांक 10/10/2025

विषय: अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-एस(2)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है:

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धतंत्र के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या 89/अरसा0-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता सम्बंधी शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर 13 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
10.10.25
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक: शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371 /2025-26 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0 [illegible]।
[illegible] बेसिक शिक्षा [illegible]

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0 लखनऊ।